

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 555 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, अगस्त, 11 2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या-1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना-फतेहपुर, तहसील-फतेहपुर, जिला फतेहपुर (उ०प्र०) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क. मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/यू.पी./06/74/2021/एफ.सी./1352, दिनांक 23-03-2021 एवं आपका पत्रांक 2476/11-सी दिनांक 24-03-2021।

महोदय,

उपरोक्त विशयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उठायी गयी अपत्ति का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर ने अपने पत्रांक 368/27-4, दिनांक 05-08-2021 द्वारा आख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

Sr.No.	Conditions	Status of Compliance
1	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by State authority without prior approval of Central Government then action under section 3A and 3B of Forest Conservation Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing diversion. A report with full details of violation shall be submitted by state Government on the recommendation of Forest Department to this office for conducting a formal enquiry in the matter	बिन्दु संख्या के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद फतेहपुर के जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका था। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने रिटेल आउटलेट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध रेंज केस संख्या- 48/2019-20 दिनांक 20.01.2020 को दर्ज किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 646/27-4 दिनांक 25.08.2020 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-20 के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन F.NO 11-42/2017 FC Date 29-01-2018 के क्रम में दण्डात्मक एन.पी. वी. का आकलन व उपरोक्त संदर्भित समस्त प्रमाण प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न किया गया है सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाणित प्रति पुनः संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति सहित समस्त अभिलेख 03 प्रतियां एतदसह संलग्नकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक :- यथोपरि (03 प्रतियों में)।

भवदीय,

(बी० आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :- 555 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी० आर० अहिरवार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।